

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 10/2023-State Tax (Rate)

Dated: 15/09/2024

No. F.3(25)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/146 -In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification, No.26/2018- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (26)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/391, dated the 03rd September, 2019, namely:-

1. In the said notification,-

(A) in the opening paragraph, for the phrase "paragraph 4.41", the phrase "paragraph 4.40", shall be substituted;

(B) in the Explanation,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 1/2023 dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1565 (E). dated the 31st March, 2023.


(ii) For clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide Public Notice No. 01/2023 dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1st April, 2023;"

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2023.

Note: -The principal notification number No.26/2018- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (26)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/391, dated the 03rd September, 2019 and last amended videnotification number 17/2019-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (89)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/616, dated the 12th December, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary(Exp.-I)

No. F.3 (25)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 146

Dated: 15.02.2024

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, VyaparBhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary(Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 10/2023-राज्य कर (दर)

दिनांक: 15/02/2024

सं.फा.3(25)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/1/16 - दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य कर (दर), जिसे सं.फा. 03(26)/वित्त(राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/391, दिनांक 03 सितंबर 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश पैराग्राफ "4.41" के स्थान पर, वाक्यांश पैराग्राफ "4.40" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) स्पष्टीकरण में,-

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) " विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023 द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड 3, उप-खंड(ii) में प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति" 2023 से है।"


(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) " हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय, प्रोसीजर्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2023 की फा. सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- I, खंड 1 में प्रकाशित "हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स" में है।"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 को लागू होगी।

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य कर (दर) जिसे सं.फा.03(26)/वित्त(राजस्व- I)/2019-20/डीएस- VI/391, दिनांक 03 सितंबर, 2019 तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग- IV में की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019- राज्य कर (दर) जिसे सं.फा.03(89)/वित्त(राजस्व- I)/2019-20/डीएस- VI/616 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय-I)

सं.फा.3(25)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/146

दिनांक: 15/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय-I)